२५

निर्णय बइजलास द्वारा श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 73/2015/प्रा.पत्र/ निर्णय दिनांक :-23.11.2017

अनवान

1. श्रीमती प्रभाकंवर पुत्री चतर सिंह राजपूत निवासी रान तहसील देवगढ़ हाल निवासी-गलथनी, तहसील सुमेरपुर जिला पाली

-----**प्रार्थीया**

बनाम

1. श्री पदमसिंह पिता चतर सिंह राजपूत निवासी रान तहसील देवगढ
2. उप पंजीयक देवगढ़
3. तहसीलदार देवगढ़

----**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

पत्रावली पेश हुई व पक्ष अधिवक्ता उपस्थित जिनकी प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस में बताया कि दिनांक 09.12.2015 को अप्रार्थी को बिना सुने एवं बिना सूचना पत्र जारी किये प्रार्थीया के पक्ष में ग्राम रान तहसील देवगढ़ के खाता संख्या 46 आराजी नं. 27 रकबा 22. 17 बीघा आराजी नं. 28 रकबा 1.19. बीघा आराजी नं. 29 रकबा 1.09 बीघा आराजी नं. 30 रकबा 6.10 बीघा आराजी नं. 31 रकबा 1.01 बीघा आराजी नं. 40 रकबा 1.03 बीघा आराजी नं. 41 रकबा 0.12 बीस्वा आराजी नं. 42 रकबा 3.01 बीघा आराजी नं. 43 रकबा 1.08 बीघा आराजी नं. 45 रकबा 0.14 बीस्वा आराजी नं. 48 रकबा 2.16 बीघा कुल किता 11 रकबा 43.10 बीघा भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 श्री पदमसिंह के खाते दर्ज थी जो आराजियात उनके पिता श्री चतर सिंह के फोत हो जाने के बाद विरासत से अप्रार्थी संख्या 1 श्री पदमसिंह के खाते दर्ज हुई लेकिन अप्रार्थीया ने अपना स्वंय का हल्फनामा प्रस्तुत कर कहा है कि वो स्वर्गीय श्री चतरसिंह की जाइन्दा पुत्री है एवं विपक्षी श्री पदम सिंह उसका भाई है जो स्वर्गीय चतर सिंह का पुत्र है एवं प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 एकमात्र जाईन्दा संतान है लेकिन राजस्व रेकार्ड में केवल मात्र विपक्षी संख्या 1 पदमसिंह का सम्पूर्ण आराजियात पर नाम दर्ज हो गया जबकि मुझ प्रार्थीया का उक्त आराजियात पर 1/2 हिस्सा है अर्थात आधा हिस्सा है

सहायक कलेक्टर

जिसकी जानकारी दिनांक 02.12.2015 को पटवारी हल्का से पूछने पर हुई एवं दिनांक 09.12.2015 को मूल वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया विपक्षीगण को तलब करने के बाद विपक्षी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि एकमात्र मालिक मैं विपक्षी ही हूं प्रार्थीया विपक्षी की सगी बहन नही है और उसका उक्त जायदाद के सम्बन्ध में कोई हक–हकूक नही है न ही कोई कब्जा रहा है प्रार्थीया ने 9 वर्ष पश्चात् जानकारी होना कि मुझ प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में नही है इस बाबत् धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया न ही पटवार हल्का को प्रस्तुत किया गया तथा न ही कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किये कि वो उसकी जाईन्दा पुत्री है केवल मूल वाद में इनकमटेक्स की फोटोप्रति एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1996 का प्रमाण पत्र पेश किये जो प्रमाणित नही है जबकि मेरे पिता का स्वर्गवास लगभग 10–11 वर्ष पूर्व हो चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज कराया जावे उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी न्याय हित में विपक्षी संख्या 1 श्री पदमसिंह जो स्वर्गीय चतर सिंह का इकलोता पुत्र है एवं सम्पूर्ण आराजियात भी उसी के नाम दर्ज है लेकिन इस स्तर में मूल वाद विचाराधीन होने से न्याय हित में श्री चतरसिंह के पुत्र श्री पदमसिंह का हिस्सा 1/2 छोड़ते हुए उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय करना न्यायोचित समझता हूं एवं विपक्षी संख्या 1 पदमसिंह का सम्पूर्ण आराजियात में से 1/2 हिस्सा है श्री पदमसिंह के हिस्से को छोडते हुए अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश निरस्त किया जाता है प्रार्थना पत्र में दर्शायी कुल आराजियात के 1/2 हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहेगी शेष हिस्से पर पदमसिंह का हक–हकूक पूर्वानुसार रहेगा पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावें।

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द